निर्णय व इजलास प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर (ग्रामीण)

प्रकरण संख्या : 02 /2023 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)

सरदार मल पुत्र श्री सेडूराम जाति जाट निवासी ग्राम ढाणी होलीवाली, वार्ड नम्बर 24, शाहपुरा जिला जयपुर ग्रामीण ।

प्रार्थी

बनाम

1. श्री अशोक कुमार पीठासीन अधिकारी उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा, जिला जयपुर ग्रामीण ।

अप्रार्थी

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 235 आर टी एक्ट 1955 बाबत उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 84/2022 व उनवानी सरदार मल बनाम सरकार व अन्य को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने बाबत।

उपस्थित:-

1. श्री श्याम सुन्दर खण्डेलवाल अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से ।

निर्णय दिनांक 18.09.2023

1. संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा के समक्ष प्रकरण संख्या 84/2022 व उनवानी सरदार मल बनाम सरकार व अन्य विचाराधीन है। जिसमें पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने में शंका जाहिर कर उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण किये जाने का अनुरोध किया है।
2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा से बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई।
3. बहस एक पक्षीय प्रार्थी की सुनी गई।
4. प्रार्थी अधिववता ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि प्रश्नागत प्रकरण विधायक श्री आलोक बेनीवाल के राजनीतिक दबाव से ग्रसित है। पूर्व पीठासीन अधिकारी श्री मन मोहन जी मीणा पर भी प्रेशर बना कर 20.07.2023 को प्रार्थी द्वारा बहस न किये जाने के बावजूद भी बहस सुनी जाकर पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 24.07.2023 की नियत की गई। दिनांक 24.07.2023 को समयाभाव के कारण आदेश नहीं हुआ और पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 23.08.2023 के लिए नीयत की गई। इसी बीच दिनांक 31.07.2023 को विधायक श्री आलोक जी बेनीवाल की डिजायर पर पीठासीन अधिकारी श्री अशोक कुमार जी को उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा लगाया गया है। इसलिए प्रार्थी को पीठासीन अधिकारी श्री अशोकं कुमार जी से प्रश्नागत प्रकरण में राजनीतिक दबाव के

जिला कलक्टर
जयपुर

कारण पारदर्शी न्याय की कोई उम्मीद नहीं है। अतः उक्त उनवानी प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने का आदेश फरमावें।

5. प्रार्थी के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।

6. अधीनस्थ पीठासीन अधिकारी ने अपनी टिप्पणी में प्रार्थी द्वारा लगाये गये आरोपों का खण्डन किया है। प्रार्थी ने मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरोपों के समर्थन में कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया है। प्रार्थी ने केवल कयास के आधार पर यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया है जो सही नही है। इस सम्बन्ध में न्यायिक दृष्टान्त मोहन सिंह बनाम दलपत सिंह 1984 RRD 501, राधेलाल बनाम बसन्ती लाल 1986 RRD-18 एवं मुरलीधर बनाम रामस्वरूप 1980 RRD (NSU) 61 में भी यह माना गया है कि मात्र कयास के आधार पर प्रकरण को मुन्तकिल किया जाना न्यायोचित नही है। उभय पक्ष को गौर से सुनने एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर यह परिलक्षित होता है कि दौराने सुनवाई पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रकरण में ऐसी कोई कार्यवाही किया जाना नहीं पाया गया है, जिससे प्रकरण को अन्यत्र न्यायालय में मुन्तकिल किया जावे। प्रार्थी द्वारा मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरोपों की पुष्टि नहीं होती है। फलस्वरूप मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

7. उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा को निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण का यथा सम्भव एक माह में उभय पक्ष को सुन कर निर्णय पारित करे। निर्णय की प्रति पालनार्थ हस्ब कायदा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा को प्रेषित हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर शुमार मिसल हो।

निर्णय आज दिनांक 18.09.2023 को सरे इजलास सुनाया गया ।

(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला कलक्टर
जयपुर

Scanned with OKEN Scanner